Users' Consultative Committees

1. Purpose

To secure better representation of Railway Users' and affording more frequent opportunities for consultation between Railway Administration and users on matters relating to the services provided by Railways and means of improving the efficiency of such service.

2. Different types of committees formed at various levels

a. Railway Users' Consultative Committees at the Divisional levels i.e. Divisional Railway Users' Consultative Committees (DRUCCs);

b. A Zonal Railway Users Consultative Committee at the headquarters of each Railway i.e. Zonal Railway Users' Consultative Committees (ZRUCCs);

c. Konkan Railway Users' Consultative committee (KRUCC) at Konkan Railway;

d. Metro Railway Users' Consultative Committee (MRUCC) at Metro Railway, Kolkata;

e. Suburban Railway Users' Consultative Committee (SRUCC) at the headquarters of each of the six Railways having separately defined suburban section i.e., Central, Eastern, Southern, South Central, South Eastern & Western Railways;

f. A National Railway Users' Consultative Council (NRUCC) at the Center; and

g. Station Consultative Committee (SCC).

3. **Functions**

3.1 DRUCC: The Railway Users' Consultative Committees in the Divisions represent the local users in the territories served by the Railway and consider matters relating to: -

i. Provision of amenities in the area with which the Committee is concerned.

ii. Proposal regarding opening of new stations within the jurisdiction of the Committee.

iii. Arrangements regarding time table.

iv. Improvement of passenger services and facilities provided by the Railways.

v. Any subject of general public interest or public convenience or such matters affecting the passenger services and facilities which has been the subject of representation by users, or which has been referred to them for consideration by the Zonal Railway Users' Consultative Committee, the National Railway Users' Consultative Council or by the Administration.

3.2 ZRUCC: The Zonal Railway Users' Consultative Committee at the Headquarters of each railway represents the general railway users of the territory of zone served by the railway as a whole and considers:

(i) Such matters, from the point of view of the zone as a whole, as are referred to in para 3.1;

(ii) Matters arising from the reports of the Divisional Railway Users' Consultative Committees, or such other matters relating to the subject referred to in para 3.1, as may be specifically forwarded by the Divisional Committees for consideration; and

(iii) Matters referred for consideration and report by the Administration, Ministry of Railways or the National Railway Users' Consultative Council.

3.3 KRUCC: KRUCC represents the local users in the territories served by the Konkan Railway Corporation Limited i.e., from Roha (excluding) to Thokur (including) and consider matters relating to:

(i) Provision of amenities in the area with which the committee is concerned.

(ii) Synergizing with other Railways and other transport modes for maximizing the services to industries and business development of the areas covered by KRCL.

Dell/M/D:/My Documents/Consultative Committee/Constn.

(iii) Strengthening the infrastructure needs for better services to Users.

(iv) Improvement of the services and facilities provided by Railways.

(v) Any subject of public interest or such matters affecting facilities which have been subject of representation by Users, or which has been referred by National Railway Users' Consultative Council or by the Administration.

3.4 MRUCC

(i) To provide public opinion in respect of passenger amenities both at stations and on trains.

(ii) To enable the Railway administration to take correct and quick decisions in consonance with the public opinion and requirement so that best can be made of the Railway's available resources in the right direction bringing about the desired effect without additional cost.

3.5 NRUCC: The National Railway Users' Consultative Council at the Center considers:.

(i) Such matters relating to the services and facilities provided by railways as may be referred to it for consideration by the Ministers.

(ii) Such matter being within the scope of the function of the Zonal Committee as are referred to it for consideration by such Committees; and

(iii) Such other matters relating to the services and facilities on railways, which individual members of the council may, with the approval of the Chairman, desire should be included in the agenda.

NOTE:

i. All the Committees and Council established under these rules are consultative in character.

ii. Questions relating to staff, discipline and appointment should not be brought before the Committees or the Council.

4. COMPOSITION:

DRUCC

S. No.	Description	Number of persons to be nominated
1)	One representative each of local Chambers of Commerce, Trade Associations & Industries and Agricultural Associations.	Not more than six
2)	Registered Passengers Association in the area	Two

3)	State Government Representatives – one each from the States served by the Division – To be recommended by the concerned State Government	Depends upon the States served by the Division
4)	One Member each from the State Legislature – To be recommended by the concerned State Governments.	-do-
5)	Representative of Consumer Protection Organization.	One
6)	Representative of Association of Persons with Disabilities (Divyangjans)	One
7)	Nominees of Union Ministers & MPs. (a) One nominee of each Union Minister (Lok Sabha) on the Divisional Railway Users' Consultative Committee(s) serving his/her constituency. (b) One nominee of each Union Minister (Rajya Sabha) on any one DRUCC serving the State from which he/she has been elected. (c) One nominee of each Member of Parliament (Lok Sabha) on the Divisional Railway Users' Consultative Committee(s) serving his/her constituency. (d) One nominee of each Member of Parliament (Rajya Sabha) on any one DRUCC serving the State from which he/she has been elected. (e) Nominated Members of Parliament of Lok Sabha and Rajya Sabha can nominate one representative on any one DRUCC on any one Zonal Railway. (f) No Member of Parliament will be nominated on Divisional Railway Users' Consultative Committee.	Depends upon the number of Union Ministers & MPs whose constituency falls within the jurisdiction of the Division.
8)	Special Interests: - i) Nomination by General Manager ii) Nomination by Minister for Railways	 One Such other members as the Minister may appoint to represent interests which he considers are necessary to be represented on the Committee

The Divisional Railway Manager of the Division concerned will be the Chairman of the Divisional Railway Users' Consultative Committee. One of the senior traffic officers of the Division concerned will function as the Secretary of the Committee.

ZRUCC

S. No.	Description	Number of persons to be nominated
1)	State Government Representatives – one each from the States served by the Railway – To be recommended b the concerned State Government	Depends upon the States served by the Zone.
2)	One Member each from the State Legislature – To be recommended by the concerned State Governments.	-do-
3`)	Principle Chambers of Commerce & Trade Associations having a standing of not less than five years.	Five (Maximum)
4)	Representatives of Agricultural Associations (not included in or affiliated to Chambers of Commerce etc. mentioned above) – To be recommended by the State Government.	Not more than two
5)	One elected representative from each of the DRUCC	Depends upon the number of Divisions being served by the Zone.
6)	Representative from Public Sector Undertakings including Ports in the case of Railways serving Ports (on NF Railway only one Public Sector Undertaking is given representation)	02
7)	Registered Passengers' Association	One from each of the States which have a sizeable route kilometer on the Railways. However, in case of those Railways whose jurisdiction is largely served by only one State and there is no active Registered Passenger Association in any other state, two Registered Passenger Associations can also be nominated from one state on one ZRUCC. However, in such cases, the total number of Registered Passenger Associations nominated on any ZRUCC will not be more than two.
8)	Consumer Protection Organization	One
9)	Representative of Association of Persons with	One

	Disabilities (Divyangjans)	
10)	Members of Parliament (7 from Lok Sabha and 3 from Rajya Sabha)	Ten
11)	Nominee each of Union Ministers: i. One representative of each Union Minister (Lok Sabha) on the ZRUCC(s) serving his/her constituency. ii. One representative of each Union Minister (Rajya Sabha) on any one ZRUCC serving the State from which he/she has been elected.	Depends upon the number of Union Ministers whose constituency falls within the jurisdiction of the Zone.
12)	Special Interests: - i) Nomination by General Manager ii) Nomination by Minister for Railways	One Such other members as the Minister may appoint to represent interests which he considers are necessary to be represented on the Committee

<u>NOTE:</u> The member of the Zonal Railway Users' Consultative Committee representing industries, commerce and trade are ordinarily drawn from important local Chambers or Association representing predominant trade interest and approved by the State Governments concerned. After the Chambers or Associations etc. are approved for representation by the Minister, how the Chamber or Associations etc. select their representative i.e. by election or otherwise is left to them.

The General Manager will be the Chairman of the Zonal Railway Users' Consultative Committee and the Secretary to the General Manager or such other officer as may be nominated for the purpose by the General Manager, will function as Secretary of the Committee.

KRUCC

S. No.	Description	Number of persons to be nominated
1)	Two MPs from each of the four States (Goa, Karnataka, Kerala and Maharashtra) as nominated by Ministry of Parliamentary Affairs.	Eight
2)	One MLA from each of the four States as nominated by the respective Speaker of State Assemblies.	Four
3`)	Two representatives of Chamber of Commerce including industries from the State of Maharashtra.	Two
4)	One representative of Chamber of Commerce including industries from State of Karnataka	One
5)	One representative of Chambers of Commerce including industries from State of Goa	One
6)	One representative of Chambers of Commerce including industries from State of Kerala	One
7)	Four representatives, one each from the four States, as covered by KRCL, from the recognized passenger's associations.	Four
8)	Representatives from special interest group as nominated by CMD/Konkan Railway Corporation Ltd.	One
9)	Representatives from special interest group as nominated by Minister (s) of Railways.	Two

Note CMD/KRCL shall be the Chairman of KRUCC. The Secretary shall be Chief Manager (Admin). Other official members shall be as nominated for the purpose by Chairman

MRUCC

S. No.	Description	Number of persons to be nominated
1	Representative of the Government of the States served by the Railway as recommended by such Governments	One from each State
2	Member of Legislatures recommended by the State Governments	One from each State
3	Representative of principal Chambers of Commerce (having a standing of not less than five years) of the State on which metro railway is located by rotation.	One from each State
4	Representatives to be sent by State Government	Not more than two
5	Representative of Registered Passengers Association	One
6	Representative of Consumer Protection Organization	One
7	Three Members of Parliament	Two from Lok Sabha and one from Rajya Sabha belonging to state on which Metro Railway is located
8	One nominee of each Union Minister to be given representation on Metro Railway Users' Consultative Committee whose constituency is being served by MRUCC.	Depends upon number of Union Ministers whose constituency is served by Metro Railway.
9	Member to represent special interests to be nominated on the recommendation of the General Manager of the Railway; and	One
10	Members as the Minister may appoint to represent the interests which he/she considers are necessary to be represented to the committee.	Eight

Note: The General Manager of Metro Railway will be the Chairman of MRUCC and Secretary to GM or such other officer as may be nominated for this purpose by the GM, Metro Railway will function as the Secretary of the Committee.

SRUCC

Suburban Railway Users' Consultative Committee are constituted on each of the Central, Western, Southern, Eastern, South Eastern & South Central Railways consists of members as under: -

S. No.	Description	Number of persons to be nominated
1.	Representative of the City Corporation or the Municipality where the headquarters of the Railway is located	One
2.	If there are many municipalities in the area of the suburban services, one representative each from not more than two municipalities in the area.	Two (Maximum)
3.	Elected member from the Divisional Railway Users' Consultative within whose jurisdiction the suburban sections fall.	One
4.	Elected representative from the Zonal Railway Users' Consultative Committee	One
5.	Representatives of Associations of Suburban Passengers	Four on Central and Western Railways. Two on other Railways
6.	Nominee of the General Manager	One
7.	Nominees of Minister of Railways under the category of "Special Interest".	Four
8.	Member of Parliament to be nominated by Ministry of Parliamentary Affairs	One

Note: Chief Operating Superintendent will be the Chairman of SRUCC while DGM (G) or any other officer authorized on this behalf by the GM of zonal Railway concerned will act as Secretary to the Committee.

NRUCC

S. No.	Description	Number of persons to be nominated
1)	Secretaries of the Ministries of Government of India	03 (Industry, Commerce & Civil Aviation, Tourism)
2)	Chairman & CEO and Members of Railways Board.	05
3)	Members of Parliament (10 from Lok Sabha and 5 from Rajya Sabha)	15
4)	A representative of each of the ZRUCC	16 + 2 (one each from KRUCC & MRUCC)
5)	One Member each from the All-India Commerce & Trade Associations • Federation of Chambers of Commerce & Industry • Associated Chambers of Commerce and Industry • Indian Jute Mills Association • Indian Sugar Mills Association • All India Manufacturers Association • Cement Manufacturers Association. • All India Travel Agents Association and similar All India Associations	07
6)	Agricultural Interest	01
7)	Association of Persons with Disabilities (Divyangjans)	01
8)	Retired Officers of the Railway (Members of the Board/General Managers)	02
9)	Special Interest	Such other members as the Minister may appoint to represent interests which he considers are necessary to be

		represented on the Council.

NOTE:

i. The Minister may invite any other officers to attend meetings of the Council, as he/she may consider necessary to assist in the conduct of business.

ii. The Minister for Railways presides at the meeting of the National Railway Users' Consultative Council and in his absence, the Minister of State for Railways acts as Chairman. The Director Passenger Marketing-II, Railway Board or any other officer authorized on this behalf will act as the Secretary of the Council.

SCC

"Station Consultative Committees are constituted at all categories of stations as per following guidelines:-

i. The total number of members to be nominated on SCC shall normally not exceed the limit of 11, 9 & 7 members at NSG-1, NSG-2 & NSG-3 category stations respectively and 5 at NSG-4, NSG-5 & NSG-6 category stations. At SG-1, SG-2 & SG-3 category stations, the total number of members to be nominated shall not exceed the limit of 11, 9 and 7 members respectively.

ii. The Committee shall consist of representatives from different fields including those mentioned below subject to the maximum limit prescribed for each category of station:-

- Chambers of Commerce;
- Local Trade and Industry;
- Local educational institutions;
- Local self-Government bodies;
- Eminent persons of the Area and general public.

iii. SCC shall be constituted with the approval of Divisional Railway Manager concerned.

iv. Meetings of SCC shall be chaired by Station Director/Station Manager/Station Superintendent/Station Master of the station, who will also be convener of the meeting.

v. Senior Section Engineers (SSEs) of various departments e.g. Electrical, Mechanical, Civil etc. or any other official can be co-opted in the SCC.

vi. The tenure of the Station Consultative Committee shall be for two calendar years unless otherwise notified.

vii. Three meetings of SCC of each category of station shall normally be held in a year.

viii. The nature of these committees shall be consultative in character.

ix. Persons holding assignments of profit connected with Railways e.g. catering and vending contractors, Out Agency contractors, handling contractors, engineering contractors, Rail Travellers Service Agents and State/Central Government Servant etc. are debarred from the membership of the SCC.

x. Persons with conflict of interest and involved in litigation with Railways are also debarred from the membership of this committee."

NOTE: Persons holding assignments of profit connected with Railways, e.g. catering and vending contractors, out-agency contractors handling contractors, engineering contractors Rail Travelers' Service Agents, State and Central Government Servants etc. are debarred from the membership of the Railway Users' Consultative Committees and the National Railway Users' Consultative Council.

Where by reason of the larger number of Chambers, Trade Associations, Passenger Associations etc. representation cannot be given to all such bodies, representation may be given to them by rotation.

5. Number of meetings which should normally be held in a year

- Three to four meetings of DRUCCs;
- Three meetings of ZRUCCs, MRUCC and SCC;
- Two meetings of NRUCC & KRUCC;
- The frequency of meetings of SRUCC will be as necessitated by the exigencies of work and as may be decided upon by the Chairman of Committee.

6. Tenure of the Committees/Council

The tenure of all the Committees/Council will ordinarily be for a period not exceeding 2 years unless otherwise notified by Ministry of Railways.

7. Non-official Members of these Railway Users' Consultative Committees and the National Railway Users' Consultative Council other than MPs & MLAs, when attending meetings of the Committees or the Council or Sub-Committees of these bodies will be afforded reasonable facilities for travel and travelling allowance.

*****

उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समितियां

1. उद्देश्य

रेल उपयोगकर्ताओं को बेहतर प्रतिनिधित्व प्रदान करने और रेलवे द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं व ऐसी सेवा की कुशलता को बेहतर बनाने के साधनों से संबंधित मामलों पर रेल प्रशासन और उपयोगकर्ताओं के बीच परामर्श हेतु अधिक अवसर उपलब्ध कराना।

2. विभिन्न स्तरों पर गठित विभिन्न प्रकार की समितियां

a. मंडल स्तर पर रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समितियां अर्थात् मंडल रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समितियां;

b. प्रत्येक रेलवे के मुख्यालय में एक क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति अर्थात् क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति:

c. कोंकण रेल में कोंकण रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति;

d. मेट्रो रेल, कोलकाता में मेट्रो रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति;

e. पृथक नियत उपनगरीय खंड रखने वाली छह रेलों अर्थात् मध्य रेलवे, पूर्व रेलवे, दक्षिण रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे और पश्चिम रेलवे में से प्रत्येक के मुख्यालय में उपनगरीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति;

f. केंद्र में राष्ट्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री परिषद; और

g. स्टेशन परामर्शदात्री समिति।

3. <u>कार्य</u>

3.1 <u>मंडल रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति:</u> मंडलों में रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समितियां रेलवे द्वारा सेवित क्षेत्रों में स्थानीय उपयोगकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करती हैं और निम्नलिखित विषयों से संबंधित मामलों पर विचार करती हैं: -

i. समिति से संबंधित क्षेत्र में सुविधाओं की व्यवस्था।

ii. समिति के क्षेत्राधिकार के अंदर नए स्टेशन खोलने के बारे में प्रस्ताव।

Dell/M/D:/My Documents/Consultative Committee/Constn.

iii. समय-सारणी के संबंध में व्यवस्थाएं।

iv. रेलवे द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली यात्री सेवाओं और सुविधाओं में सुधार।

v. सामान्य जन हित या जन सुविधा का ऐसा कोई विषय या यात्री सेवाओं और सुविधाओं को प्रभावित करने वाले ऐसे मामले जो उपयोगकर्ताओं द्वारा अभ्यावेदन का विषय रहे हैं, या जिन्हें क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति, राष्ट्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री परिषद या प्रशासन द्वारा उसके विचारार्थ भेजा गया है ।

3.2 <u>क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति</u>: प्रत्येक रेलवे के मुख्यालय में क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति रेलवे द्वारा समग्र रूप से सेवित क्षेत्र के आम रेल उपयोगकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करती है और निम्नलिखित पर विचार करती है:

(i) समग्र रूप से क्षेत्र के दृष्टिकोण से ऐसे मामले, जैसा कि पैरा 3.1 में उल्लिखित हैं;

(ii) मंडल रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समितियों की रिपोर्टों से प्रोद्भूत मामले या पैरा 3.1 में उल्लिखित विषय से संबंधित ऐसे अन्य मामले, जो निर्दिष्ट रूप से मंडल समितियों द्वारा विचारार्थ अग्रेषित किए जाएं; और

(iii) प्रशासन, रेल मंत्रालय या राष्ट्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री परिषद द्वारा विचारार्थ और रिपोर्ट हेतु भेजे गए मामले।

3.3 कोकंण रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति: कोकंण रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति, कोंकण रेल निगम लिमिटेड द्वारा सेवित क्षेत्रों में अर्थात रोहा (छोड़कर) से थोकुर (सहित) तक स्थानीय उपयोगकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करती है और निम्नलिखित मामलों पर विचार करती हैं:

(i) समिति से संबंधित क्षेत्र में सुविधाओं की व्यवस्था।

(ii) कोंकण रेल निगम लिमिटेड के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में उद्योगों और व्यवसाय के विकास के लिए तथा सेवाओं को अधिकतम बनाने के लिए अन्य रेलों और अन्य परिवहन साधनों के साथ तालमेल।

(iii) उपयोगकर्ताओं के लिए बेहतर सेवाओं हेतु बुनियादी ढांचे की जरूरतों का सुदृढ़ीकरण।

(iv) रेलवे द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं में सुधार;

(v) सामान्य जन हित या जन सुविधा का ऐसा कोई विषय या यात्री सेवाओं और सुविधाओं को प्रभावित करने वाले ऐसे मामले जो उपयोगकर्ताओं द्वारा अभ्यावेदन का विषय रहे हैं, या जिन्हें क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति, राष्ट्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री परिषद या प्रशासन द्वारा उसके विचारार्थ भेजा गया है ।

3.4 मेट्रो रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति

(i) स्टेशनों पर और रेलगाड़ियों में, दोनों में यात्री सुविधाओं के संबंध में जनता की राय उपलब्ध कराना।

(ii) जनता की राय और जरूरतों के अनुरूप सही और त्वरित निर्णय लेने में रेल प्रशासन को सक्षम बनाना ताकि अतिरिक्त लागत के बिना वांछित प्रभाव लाने के लिए रेलवे के उपलब्ध संसाधनों का सही दिशा में सर्वश्रेष्ठ उपयोग किया जा सके।

3.5 राष्ट्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री परिषद: केंद्र में राष्ट्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री परिषद इन विषयों पर विचार करती है:

(i) रेलवे द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं से संबंधित ऐसे मामलों पर, जो मंत्रियों द्वारा इसके विचारार्थ भेजे जाएं।

(ii) क्षेत्रीय समिति की कार्य परिधि में होने के कारण ऐसे मामले जो ऐसी समितियों द्वारा इसके विचारार्थ भेजे जाएं; तथा

(iii) रेलों में सेवाओं और सुविधाओं से संबंधित ऐसे अन्य मामले, जिन्हें परिषद का वैयक्तिक सदस्य, अध्यक्ष के अनुमोदन से, कार्यसूची में शामिल करे।

नोट:

i. इन नियमों के तहत स्थापित सभी समितियां और परिषद परामर्शदात्री स्वरूप की हैं।
ii. कर्मचारी, अनुशासन और नियुक्ति से संबंधित प्रश्न समिति या परिषद के समक्ष नहीं लाए जाएंगे।

4. संरचना:

मंडल रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति

क्र. सं.	विवरण	नामित किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या
1)	स्थानीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स, व्यापार संघों एवं उद्योगों और कृषि संघों में से प्रत्येक से एक प्रतिनिधि।	छह से ज्यादा नहीं
2)	क्षेत्र में पंजीकृत यात्री संघ	दो
3)	राज्य सरकार के प्रतिनिधि – मंडल सेवित प्रत्येक राज्य से एक प्रतिनिधि – संबंधित राज्य सरकार द्वारा अनुशंसित किया जाएगा	मंडल द्वारा सेवित राज्यों पर निर्भर करता है
4)	प्रत्येक राज्य विधायिका से एक सदस्य – संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अनुशंसित किया जाएगा।	- यथोक्त-

5)	उपभोक्ता संरक्षण संगठन का प्रतिनिधि।	एक
6)	दिव्यांग व्यक्तियों के संघ का प्रतिनिधि	एक
7)	केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों के नामित सदस्य। (a) प्रत्येक केंद्रीय मंत्री (लोक सभा) के निर्वाचन-क्षेत्र को सेवित करने वाली प्रत्येक मंडल रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति में एक नामित सदस्य। (b) प्रत्येक केंद्रीय मंत्री (राज्य सभा) – वह राज्य जिस से केंद्रीय मंत्री (राज्य सभा) का निर्वाचन हुआ है, उस राज्य को सेवित करने वाली किसी एक मंडल रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति में एक नामित सदस्य। (c) प्रत्येक सांसद सदस्य (लोकसभा) के निर्वाचन-क्षेत्र को सेवित करने वाली प्रत्येक मंडल रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति में एक नामित सदस्य। (d) प्रत्येक संसद सदस्य (राज्य सभा) – वह राज्य जिस से संसद सदस्य (राज्य सभा) का निर्वाचन हुआ है, उस राज्य को सेवित करने वाली किसी एक मंडल रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति में एक नामित सदस्य। (e) लोकसभा और राज्य सभा के नामित सदस्य किसी एक क्षेत्रीय रेल में किसी एक मंडल रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति में एक प्रतिनिधि को नामित कर सकते हैं। (f) मंडल रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति में किसी संसद सदस्य को नामित नहीं किया जाएगा।	यह उन केंद्रीय मंत्रियों और संसद सदस्यों की संख्या पर निर्भर करता है जिनका निर्वाचन-क्षेत्र मंडल की क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है।
8)	विशेष हित:- i) महाप्रबंधक द्वारा नामांकन ii) रेल मंत्री द्वारा नामांकन	एक ऐसे अन्य सदस्य जो मंत्री द्वारा उन हितबद्ध समूहों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किए जाएं, जिन्हें वह समिति में प्रतिनिधित्व

		करने के लिए आवश्यक समझते हैं

मंडल रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति का अध्यक्ष संबंधित मंडल का मंडल रेल प्रबंधक होगा। संबंधित मंडल का एक सबसे वरिष्ठ यातायात अधिकारी समिति के सचिव के रूप में कार्य करेगा।

<u>क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति</u>

क्र. सं.	विवरण	नामित किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या
1)	राज्य सरकार के प्रतिनिधि – रेलवे द्वारा सेवित प्रत्येक राज्य से एक प्रतिनिधि – संबंधित राज्य सरकार द्वारा अनुशंसित किया जाएगा	क्षेत्रीय रेल द्वारा सेवित राज्यों पर निर्भर करता है
2)	प्रत्येक राज्य विधायिका से एक सदस्य – संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अनुशंसित किया जाएगा।	- यथोक्त-
3)	मुख्य चैम्बर ऑफ कॉमर्स और व्यापार संघ जो पांच से अधिक वर्ष पूरे कर चुके हैं	पांच (अधिकतम)
4)	कृषि संघों के प्रतिनिधि (उपर्युक्त चैम्बर ऑफ कॉमर्स में शामिल या उनसे संबद्ध नहीं हैं) – राज्य सरकार द्वारा अनुशंसित किए जाएंगे।	दो से अधिक नहीं
5)	प्रत्येक मंडल रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति से एक निर्वाचित प्रतिनिधि	क्षेत्रीय रेल द्वारा सेवित मंडलों की संख्या पर निर्भर करता है।
6)	पत्तनों को सेवित करने वाली रेलवे के मामले में पत्तनों सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्रतिनिधि (पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में सार्वजनिक क्षेत्र के केवल एक उपक्रम को प्रतिनिधित्व दिया जाता है)	02
7)	पंजीकृत यात्री संघ	प्रत्येक राज्य से एक जिनका रेलवे में उल्लेखनीय मार्ग किलोमीटर है। बहरहाल, उन रेलों के मामले में जिनकी अधिकारिता मोटे तौर पर केवल एक राज्य को सेवित करती है और किसी अन्य राज्य में कोई सक्रिय पंजीकृत यात्री संघ नहीं है, एक क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति में एक राज्य से दो पंजीकृत यात्री संघों को नामित किया जा

		सकता है। बहरहाल, ऐसे मामलों में, किसी भी क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समितिं में नामित पंजीकृत यात्री संघों की कुल संख्या दो से अधिक नहीं होगी।
8)	उपभोक्ता संरक्षण संगठन	एक
9)	दिव्यांगजन संघ का प्रतिनिधि	एक
10)	संसद सदस्य (लोक सभा से 7 सदस्य और राज्य सभा से 3 सदस्य)	10
11)	प्रत्येक केंद्रीय मंत्री से नामित सदस्य: i. प्रत्येक केंद्रीय मंत्री (लोक सभा) के निर्वाचन-क्षेत्र को सेवित करने वाली प्रत्येक क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति में एक नामित सदस्य ii. प्रत्येक केंद्रीय मंत्री (राज्य सभा) – वह राज्य जिस से केंद्रीय मंत्री (राज्य सभा) का निर्वाचन हुआ है, उस राज्य को सेवित करने वाली किसी एक क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति में एक नामित सदस्य।	यह उन केंद्रीय मंत्रियों की संख्या पर निर्भर करता है जिनका निर्वाचन क्षेत्र क्षेत्रीय रेल की अधिकारिता में आता है।
12)	विशेष हित:- i) महाप्रबंधक द्वारा नामांकन ii) रेल मंत्री द्वारा नामांकन	एक ऐसे अन्य सदस्य जो मंत्री द्वारा उन हितबद्ध समूहों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किए जाएं, जिन्हें वह समिति में प्रतिनिधित्व करने के लिए आवश्यक समझते हैं

नोट: उद्योगों, वाणिज्य और व्यापार का प्रतिनिधित्व करने वाली क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति के सदस्य सामान्यत: महत्वपूर्ण स्थानीय चैम्बरों या प्रमुख व्यापार हित का प्रतिनिधित्व करने वाले और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अनुमोदित संघों से लिए जाते हैं। प्रतिनिधित्व के लिए मंत्री द्वारा चैम्बर या संघों का अनुमोदन किए जाने के बाद, चैम्बर या संघ आदि अपने प्रतिनिधि का चयन कैसे करेंगे, अर्थात चुनाव द्वारा या अन्यथा, यह उन पर छोड़ दिया जाता है।

क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति का अध्यक्ष महाप्रबंधक होगा और महाप्रबंधक या उनके द्वारा इस उद्देश्य के लिए नामित अधिकारी के सचिव, इस समिति के सचिव के रूप में कार्य करेगा।

<u>कोंकण रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति</u>

क्र. सं.	**विवरण**	**नामित किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या**
1)	संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित, चार राज्यों (गोवा, कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्) प्रत्येक से दो संसद सदस्य।	आठ
2)	चार राज्यों में से प्रत्येक से एक विधायक जैसा कि राज्य विधानसभा के संबंधित अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाएं	चार
3)	महाराष्ट्र राज्य से उद्योगों सहित चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दो प्रतिनिधि।	दो
4)	कर्नाटक राज्य से उद्योगों सहित चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक प्रतिनिधि	एक
5)	गोवा राज्य से उद्योगों सहित चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक प्रतिनिधि	एक
6)	केरल राज्य से उद्योगों सहित चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक प्रतिनिधि	एक
7)	कोंकण रेल निगम लिमिटेड द्वारा सेवित चार राज्यों में से प्रत्येक से मान्यता-प्राप्त यात्री संघों से एक प्रतिनिधि।	चार
8)	सीएमडी/कोंकण रेल निगम लिमिटेड द्वारा नामित विशेष हितबद्ध समूह के प्रतिनिधि।	एक
9)	विशेष हितबद्ध समूह के प्रतिनिधि जैसा कि रेल मंत्रियों द्वारा नामित किए जाएं	दो

नोट: कोंकण रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति का अध्यक्ष सीएमडी / कोंकण रेल निगम लिमिटेड होगा। मुख्य प्रबंधक (प्रशासन) उसका सचिव होगा। इस उद्देश्य के लिए अन्य आधिकारिक सदस्यों को अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा।

<u>**मेट्रो रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति**</u>

क्र. सं.	विवरण	नामित किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या

•

1	रेलवे द्वारा सेवित राज्यों की सरकारों द्वारा अनुशंसित प्रतिनिधि	प्रत्येक राज्य से एक
2	राज्य सरकारों द्वारा अनुशंसित विधायक	प्रत्येक राज्य से एक
3	जिस राज्य में मेट्रो रेल स्थित है, उसके प्रमुख चैम्बर ऑफ कॉमर्स (जो पांच साल से कम पुराने न हों) के प्रतिनिधि चक्रण द्वारा	प्रत्येक राज्य से एक
4	राज्य सरकार द्वारा भेजे जाने वाले प्रतिनिधि	दो से अधिक नहीं
5	पंजीकृत यात्री संघ के प्रतिनिधि	एक
6	उपभोक्ता संरक्षण संगठन का प्रतिनिधि	एक
7	तीन संसद सदस्य	जिस राज्य में मेट्रो रेल है इस राज्य के लोकसभा से दो सदस्य और राज्य सभा से एक सदस्य।
8	मेट्रो रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति में उस प्रत्येक केंद्रीय मंत्री के, जिसका निर्वाचन-क्षेत्र मेट्रो रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति द्वारा सेवित है, एक नामित सदस्य को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।	यह उन केंद्रीय मंत्रियों की संख्या पर निर्भर करता है जिनके निर्वाचन-क्षेत्र में मेट्रो रेल द्वारा सेवित है।
9	रेलवे के महाप्रबंधक की अनुशंसा पर विशेष हितबद्ध समूह का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य नामित किए जाएंगे; तथा	एक
10	ऐसे सदस्य जो मंत्री द्वारा हितबद्ध समूहों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किए जाएं, जिनका वह समिति में प्रतिनिधित्व आवश्यक समझते हैं।	आठ

•

नोट: मेट्रो रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति का अध्यक्ष मेट्रो रेल का महाप्रबंधक होगा और महाप्रबंधक या उनके द्वारा इस उद्देश्य के लिए नामित अधिकारी के सचिव, मेट्रो रेल समिति के सचिव का कार्य करेगा।

Dell/M/D:/My Documents/Consultative Committee/Constn.

उपनगरीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति

मध्य रेलवे, पश्चिमी रेलवे, दक्षिण रेलवे, पूर्व रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे और दक्षिण मध्य रेलवे में से प्रत्येक में उपनगरीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है, जिसके निम्नानुसार सदस्य होते हैं:-

क्र. सं.	**विवरण**	**नामित किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या**
1.	उस नगर निगम या नगर पालिका का प्रतिनिधि जहां रेलवे का मुख्यालय स्थित है	एक
2.	यदि उपनगरीय सेवाओं के क्षेत्र में कई नगरपालिकाएं है तो क्षेत्र में दो से अनधिक नगरपालिकाओं में से प्रत्येक से एक प्रतिनिधि।	दो (अधिकतम)
3.	उस मंडल रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति से निर्वाचित सदस्य जिनकी अधिकारिता में उपनगरीय खंड स्थित हैं।	एक
4.	क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति से निर्वाचित प्रतिनिधि	एक
5.	उपनगरीय यात्री संघों के प्रतिनिधि	मध्य और पश्चिम रेलों में चार। अन्य रेलों में दो
6.	महाप्रबंधक का नामित सदस्य	एक
7.	"विशेष हित" कोटि के तहत रेल मंत्री के नामित सदस्य।	चार
8.	संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित किए जाने वाले संसद सदस्य	एक

नोट: उपनगरीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति का अध्यक्ष मुख्य परिचालन अधीक्षक होगा जबकि संबंधित क्षेत्रीय रेल के महाप्रबंधक द्वारा अधिकृत उपमहाप्रबंधक (जी) या संबंधित कोई अन्य अधिकारी समिति के सचिव का कार्य करेगा।

•

राष्ट्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री परिषद

क्र. सं.	विवरण	नामित किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या
1)	भारत सरकार के मंत्रालयों के सचिव	03 (उद्योग, वाणिज्य और नागर विमानन, पर्यटन)
2)	रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सदस्य।	05
3)	संसद सदस्य (लोक सभा से 10 सदस्य और राज्य सभा से 5 सदस्य)	15
4)	प्रत्येक क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति का एक प्रतिनिधि	16 + 2 (कोंकण रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति और मेट्रो रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति से एक-एक)
5)	अखिल भारतीय वाणिज्य और व्यापार संघों में से प्रत्येक से एक-एक सदस्य • फेडरेशन ऑफ चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री • एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री • इंडियन जूट मिल्स एसोसिएशन • इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन • ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन • सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। • ऑल इंडिया ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन और इसी तरह के ऑल इंडिया एसोसिएशन	07
6)	कृषि हितबद्ध समूह	01
7)	दिव्यांगजन संघ	01
8)	रेलों के सेवानिवृत्त अधिकारी (बोर्ड के सदस्य/महाप्रबंधक)	02
9)	विशेष हितबद्ध समूह	ऐसे अन्य सदस्य जो मंत्री द्वारा ऐसे हितबद्ध समूहों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किए जाएं , जिनका वह परिषद में प्रतिनिधित्व होना आवश्यक समझें

नोट:

i. मंत्री परिषद की बैठकों में भाग लेने के लिए ऐसी किसी अन्य अधिकारियों को आमंत्रित कर सकते हैं, जिन्हे वह कामकाज़ के संचालन में सहायता के लिए आवश्यक समझें।

ii. राष्ट्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता रेल मंत्री करते हैं और उनकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता का कार्य रेल राज्य मंत्री करते हैं। निदेशक यात्री विपणन-II, रेलवे बोर्ड या इसके लिए अधिकृत कोई अन्य अधिकारी परिषद के सचिव का कार्य करेगा।

स्टेशन परामर्शदात्री समिति

निम्नलिखित दिशानिर्देशों के अनुसार सभी कोटि के रेलवे स्टेशनों पर "स्टेशन परामर्शदात्री समितियों" का गठन किया जाता है:-

i. सामान्यतः स्टेशन परामर्शदात्री समिति में नामित किए जाने वाले सदस्यों की कुल संख्या: अनुपनगरीय ग्रेड-1, अनुपनगरीय ग्रेड-2 और अनुपनगरीय ग्रेड-3 कोटि के रेलवे स्टेशनों पर क्रमशः 11, 9 और 7 सदस्य तथा अनुपनगरीय ग्रेड-4, अनुपनगरीय ग्रेड-5 और अनुपनगरीय ग्रेड-6 कोटि के रेलवे स्टेशनों पर 5 सदस्य से अधिक नहीं होगी। उपनगरीय ग्रेड-1, उपनगरीय ग्रेड-2 और उपनगरीय ग्रेड-3 कोटि के स्टेशनों पर, नामित किए जाने वाले सदस्यों की कुल संख्या क्रमशः 11, 9 और 7 सदस्यों की सीमा से अधिक नहीं होगी।

ii. समिति में रेलवे स्टेशन के प्रत्येक कोटि के लिए निर्धारित अधिकतम सीमा के अध्यधीन नीचे उल्लिखित विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल होंगे:-

- चैम्बर ऑफ कॉमर्स;
- स्थानीय व्यापार और उद्योग;
- स्थानीय शैक्षणिक संस्थान;
- स्थानीय स्व-शासी निकाय;
- क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति और आम जनता।

iii. स्टेशन परामर्शदात्री समिति का गठन संबंधित मंडल रेल प्रबंधक के अनुमोदन से किया जाएगा।

iv. स्टेशन परामर्शदात्री समिति की बैठकों की अध्यक्षता स्टेशन के स्टेशन निदेशक/स्टेशन प्रबंधक/स्टेशन अधीक्षक/स्टेशन मास्टर करेंगे, जो बैठक के संयोजक भी होंगे।

v. विभिन्न विभागों जैसे विद्युत, यांत्रिक, सिविल आदि के वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर या किसी अन्य अधिकारी को स्टेशन परामर्शदात्री समिति में शामिल किया जा सकता है।

vi. स्टेशन परामर्शदात्री समिति का कार्यकाल दो कैलेंडर वर्ष होगा जब तक कि अन्यथा अधिसूचित न किया जाए।

vii. सामान्यत: प्रत्येक कोटि के रेलवे स्टेशन के स्टेशन परामर्शदात्री समिति की एक वर्ष में तीन बैठकें की जाएंगी।

viii. इन समितियों का स्वरूप परामर्शदात्री होगा।

ix. रेलवे से जुड़े लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति जैसे खानपान और विक्रय ठेकेदार, बाह्यस्रोत एजेंसी ठेकेदार, सम्हलाई ठेकेदार, इंजीनियरी ठेकेदार, रेल यात्री सेवा एजेंट और

राज्य/केंद्र सरकार के कर्मचारी आदि स्टेशन परामर्शदात्री समिति की सदस्यता से वर्जित हैं।

x. विरोधी हित के और रेलवे के साथ मुकदमेबाजी में शामिल व्यक्ति भी इस समिति की सदस्यता से वर्जित हैं।

नोट:रेलवे से जुड़े लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति, जैसे खानपान और व्रिकय ठेकेदार, ठेकेदारों को संभालने वाली बाह्यस्रोत एजेंसी ठेकेदार, इंजीनियरी ठेकेदार, रेल यात्री सेवा एजेंट, राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारी आदि रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समितियों और राष्ट्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री परिषद की सदस्यता से वर्जित हैं।

जहां चैंबरों, व्यापार संघों, यात्री संघों आदि की अधिक संख्या होने के कारण ऐसे सभी निकायों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा सकता है, वहां उन्हें चक्रण द्वारा प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है।

5. बैठकों की संख्या जो सामान्यत: एक वर्ष में की जानी चाहिए

- मंडल रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति की तीन से चार बैठकें;
- क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति, मेट्रो रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति और स्टेशन परामर्शदात्री समिति की तीन बैठकें; और
- राष्ट्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री परिषद एवं कोंकण रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति की दो बैठकें
- उपनगरीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति की बैठकों की आवृत्ति कार्य की आवश्यकताओं के अनुसार होगी और जैसा कि समिति के अध्यक्ष द्वारा तय की जाए।

6. समितियों/परिषद का कार्यकाल

सभी समितियों/परिषद का कार्यकाल सामान्यतः 2 वर्ष से अधिक नहीं होगा जब तक कि रेल मंत्रालय द्वारा अन्यथा अधिसूचित न किया जाए।

7. सांसदों और विधायकों के अलावा इन रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समितियों और राष्ट्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री परिषद के गैर-सरकारी सदस्यों को इन निकायों की समितियों या परिषद या उप-समितियों की बैठकों में भाग लेने पर यात्रा और यात्रा भत्ते के लिए उचित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

*****